[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं.18/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली 28 मार्च, 2018

सा.का.नि.____(अ).-- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर-1** में जावक आपूर्ति के ब्यौरे देने की समय सीमा को सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	**मास**	**प्ररूप जीएसटीआर-1 में विवरणी फाइल करने की अंतिम अवधि**
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल, 2018	31 मई, 2018
2.	मई, 2018	10 जून, 2018
3.	जून, 2018	10 जुलाई, 2018

2. अप्रैल से जून, 2018 मास के लिए अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और 39 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा का विस्तार तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार